for creation ot the necessary posts. Action has thus been taken in respect of the observations of the Standing Committee.

Pending Projects for Forest jClearance

1905. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the number of projects from different States pending with his Ministry for forest clearance as on date;

(b) the details thereof, State-wise; and

(c) the steps taken to expedite the clearance of those projects alid details thereof?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) and (b) As on 30.6.97, 133 proposals are pending with Central Government for approvri under Forest (Conservation) Act, 19Sft State-wise details are enclosed as Statement. (Column 7).

(c) Expeditious action is being taken to decide these cases. Many cases have been received recently in the wake of the recent Supreme Court directions and these are already under different stages of processing including site inspection by the regional offices of this Ministry.

Statement

Position of proposals received from the State/UTs under Forest (Conservation) Act, 1980 as on 30-6-1997

SI. No.	StatM/UTs	Total Received	Total Approved (Stage-n)	Total Approved in Principle (Stoge-I)	Total Rejected on Merit	Pending with (Ssntral Govt.	With-drawn	Pending with Sute Govt. for want of Informati on
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Andhra Pradesh	233	122	44	32	03	08	24
2.	Aninacfaal Pradesh	85	35	13	11	01	—	25
3.	Assam	123	90	08	08	—	01	16
4.	Bihar	148	72	15	09	06	01	45
5.	Goa	68	36	16	11	—	—	05
6.	Gujarat	S32	217	52	147	04	19	93
7.	Haiyana	146	95	—	20	01	—	30
8.	Himacfaal Pradesh	340	183	14	S3	09	03	78
9.	Jammu &, Kashmir	10	08	—	—	—	—	»
10.	Kamataka	448	181	25	91	05	07	199
11.	Kerala	166	93	04	25	02	04	31
12.	Madbya Pradesh	992	494	88	156	26	29	1»
13.	Maharashtra	950	606	118	96	13	13	104
14.	Manipur	14	04	01	03	—	—	06
15.	Megbalaya	34	23	—	07	—	—	04
16.	VCzoram	11	02	02	01	—	_	06
17.	Nagaland	02	—	—	—	_	—	02
18.	Orissa	245	118	43	25	03	04	52
19.	Punjab	174	87	—	21	08	05	*Si*
20,	Rajasthan	412	98	25	23	31	05	230

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Sikkim	74'	42	09	08	—	__	15
22.	Tamilnadu	233	154	10	41	04	05	19
23.	Uttar Pradesh	1838	1076	51	108	12	12	579
24.	Tripuia	88	27	03	03	—	02	53
25.	West Bengal	79	44	08	12	01	03	11
26.	A. & N. Islands	62	34	02	12	—	—	14
27.	D & N HaveU	28	19	—	—	04	—	OS
28.	Delhi	05	—	01	—	—	__	04
29.	Daman & Diu	01	—	—	—	—	—	01
30.	Pondicherry	—	—	—	—	—	—	—
31.	Lakshadweep	—	—	—	—	—	—	—
32.	Chandigarh	01	—	—	01	—	—	—
		7542	3960	552	924	133	121	1852

द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में भारत की भूमिका

1906. **डा. महेश चन्द्र शर्मा :** क्या पर्यावरण और बन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूयार्क में सम्पन्न हुए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में भारत की क्या भूमिका रही, और

(ख) क्या भारत उक्त सम्मेलन में यूरोपीय समुदाय द्वारा रखे गए प्रस्तवा का समर्थक हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफउद्दीन सोज़) : (क) औद्योगिक देशों द्वारा 1992 के रियों सम्मेलन में स्वौच्छिक रूप से की गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने संबंधी निराशाजनक स्थिति के प्रति विकासशील राष्ट्रों के सरोकारों को व्यक्त करने में भारत ने 23-77 जून, 1997 को न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । भारत ने पर्यावरण की दृष्टि से उन्नत तकनीकों को अन्तरित करने तथा औद्योगिकृत देशों द्वारा विरकाशील देशों को नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने संबंधी समयबद्ध वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए जोरदार अपील की । भारत ने, कुछ विकसित देशों द्वारा एजेंडा 21 में नए मामलों को शामिल करके उस पर फिर से बातचीत करने के प्रयास का भी विरोध किया ।

(ग) चूंकि यूरोपीय समुदाय द्वारा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा गया, अतः प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण

1907. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी** :क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जिलावार-कितने हेक्टेयर भूमि में राष्ट्रीय वन नीति के अन्तर्गत पेड़ लगाए गए हैं,

(ख) उपरोक्त नीति के अन्तर्गत ईधन और चारा प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से पेड़ लगाए गए हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या संबंधित एजेंसियां यूकैलिप्टस और चीड़ के पेड़ लगाने की बजाय घने-छायादार और फलदार अथवा ईधन या चारा देने वाले पेड़ लगाने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफउद्दीन सोज़) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सदन

Violation of Forest Act by Gujarat

1908. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

{a) whether Government's attention has been drawn to the news report in the Indian Express dated 9th July, 1997 captioned, "Gujarat violates Forest Act";

(b) what is Govenrment's infonnation about the alleged violation of Forest Act